राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 795/2017

गोपाल कृष्ण रावत —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदेयपुर जोन, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बांसवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.05.2017
आदेश की दिनांक : 09.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी के पास वर्ष 1979 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से, वर्ष 1980 में उच्चतर माध्यमिक एवं ड्राइंग विषय में बीए वर्ष 1983 में राजस्थान विश्वविद्यालय से किया एवं बी.एड. की योग्यता है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के पास हिन्दी में एम.ए. की योग्यता भी है। अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दुर्गापुर द्वारा दिनांक 1.10.1985 के आदेश द्वारा बीए, बी.एड की योग्यता के आधार पर शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को दिनांक 26.4.1991 के आदेश द्वारा अध्यापक ग्रेड–iii के पद पर स्थायी किया गया। अपीलार्थी को 2004–05 की रिक्ति के विरुद्ध दिनांक 20.2.2005 के आदेश द्वारा अध्यापक ग्रेड–ii के पद पर पदोन्नत किया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी चित्रकला विषय में बी.ए. की योग्यता के आधार पर स्कूल व्याख्याता, चित्रकला के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने योग्य था, क्योंकि 1972 के नियमों के अनुसार, स्कूल व्याख्याता, चित्रकला के पद पर पदोन्नति के लिए बी.ए. में चित्रकला की योग्यता आवश्यक है। अपीलार्थी ड्राइंग विषय में स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था, लेकिन 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 26.9.2013 जारी करते समय अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को ड्राइंग में स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया, लेकिन अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी ने दिनांक 29.10.2013 को संबंधित अधिकारियों को तत्काल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया कि अपीलार्थी वर्ष 2004–05 में शिक्षक ग्रेड–ii के पद पर पदोन्नत हुआ था और नटवर लाल पाटीदार नामक व्यक्ति

जो वर्ष 2006–07 में शिक्षक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत हुआ था और केवल बीए (ड्राइंग) की योग्यता के आधार पर स्कूल व्याख्याता, ड्राइंग के पद पर पदोन्नत हो गया एवं उसने प्रार्थना की कि समीक्षा डीपीसी बुलाई जाए और अपीलार्थी के स्कूल व्याख्याता, ड्राइंग के पद पर उसकी पदोन्नति के मामले पर विचार किया जाए। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी समीक्षा डीपीसी बुलाई गई थी और दो व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए विचार किया गया, लेकिन अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी ने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की और उसे पता चला कि उसकी ड्राइंग में बीए की योग्यता डीपीसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया और इस प्रकार उनके मामले पर विचार नहीं किया गया। अंततः दिनांक 9.12.2015 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी की बीए ड्राइंग की योग्यता रिकॉर्ड में दर्ज की गई। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी को ड्राइंग में स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के मामले पर विचार करने के लिए समीक्षा डीपीसी नहीं बुलाई गई थी और अपीलार्थी को 2013–14 की रिक्ति के विरुद्ध आदेश दिनांक 3.6.2015 द्वारा हिंदी विषय में स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। (अनुलग्नक–7) अपीलार्थी ने दिनांक 3.6.2015 को अपनी पदोन्नति इसलिए छोड़ दी, क्योंकि उसके कनिष्ठ व्यक्ति को 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध ड्राइंग में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार उसने 2.5.2016 को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया गया कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध ड्राइंग में स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया है और इस प्रकार उसे 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध ड्राइंग में स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। (अनुलग्नक–8) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का कोई निस्तारण नहीं किया गया। उक्त विवाद पर माननीय उच्च न्यायालय ने कृष्ण गोपाल गर्ग बनाम राजस्थान राज्य के मामले में विचार किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने माना था कि सेवा रिकॉर्ड में योग्यता दर्ज करना सरकार का कर्तव्य है और संबंधित कर्मचारी को केवल इस आधार पर उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी की योग्यता सेवा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने तीन महीने के भीतर डीपीसी करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी को बिना किसी गलती के अवैध तरीके से उसकी पदोन्नति से वंचित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी से संबंधित वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध स्कूल व्याख्याता, ड्राइंग के पद पर पदोन्नति के लिए समीक्षा डीपीसी आयोजित करायी जावे और अपीलार्थी के वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध स्कूल व्याख्याता, ड्राइंग के पद पर पदोन्नति के मामले पर विचार किया जावे एवं अपीलार्थी को ड्राइंग विषय में वर्ष 2012–13 की

रिक्ति के विरुद्ध स्कूल व्याख्याता के पद के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नत किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व विभाग समक्ष सक्षम अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा – 4 (अ) के अन्तर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था एंव उक्त अभ्यावेदन के निस्तारण के उपरांत ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधान की पालना किये बिना ही सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलार्थी के द्वारा समय रहते माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश नहीं की इसलिये भारतीय मर्यादा अधिनियम की धारा–05 एवं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 के प्रावधानों की धारा–09 के अनुसार समय सीमा निकल जाने के बाद माननीय अधिकरण के समक्ष विलम्ब के आधार पर इस प्रकार का प्रकरण प्रस्तुत नही किया जा सकता है। अजय सिंह बनाम् (डब्ल्यू.एल. सी.) 2003 पेज–559 में माननीय न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि विलम्ब के कारण अपील खारिज कर देनी चाहिए। जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने धमेन्द्र बनाम् राज्य सरकार में 2012 के निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता है। लम्बे अन्तराल के बाद राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिनियम 1976 की धारा 09 के अनुसार समय बाधित होने के कारण अपील खारिज फरमायी जावें। माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय ने एससीटी 2006(1) पेज नं0 778 बलराम प्रसाद बनाम म.प्र. राज्य में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति होने के लम्बे समय के उपरान्त उस पदोन्नति आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री एस बजवा बनाम पंजाब राज्य एस एस सी 1998 (2) पेज नं. 523 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि लम्बे अंतराल के बाद पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही चयन वर्ष हेतु निर्धारित वर्गवार रिक्तियों के प्रति द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर निर्मित पात्रता सूची में से डीपीसी द्वारा किया जाता है। अपीलार्थी की स्नातक योग्यता बी.ए. में चित्रकला विषय का अंकन संबंधित वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 09.12.2014 के द्वारा किया गया है। प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) चित्रकला की वर्ष 1994–95 से 2012–13 तक की रिक्तियों के प्रति नियमित डीपीसी की बैठक दिनांक 31.03.2013 को आयोजित की गई थी तथा उक्त डीपीसी बैठक के समय संबंधित वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की बी.ए. योग्यता में चित्रकला विषय का अंकन दर्ज नहीं था, अतः अपीलार्थी इन वर्षों की डीपीसी हेतु निर्मित पात्रता सूची में नियमानुसार सम्मिलित योग्य नही बनता है। जिन अभ्यर्थियों का

रिव्यू डीपीसी में चयन किया गया है, उनकी प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) चित्रकला हेतु आवश्यक अहताओं योग्यताओं का इन्द्राज संबंधित वरिष्ठता सूची में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) चित्रकला की वर्ष 1994–95 से 2012–13 तक की रिक्तियों के प्रति नियमित डीपीसी की बैठक दिनांक 31.03.2013 से पूर्व दर्ज थी तथा नियमित डीपीसी के समय त्रूटिवश इनका नाम पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण इनका रिव्यू डीपीसी में चयनित किया गया है। जबकि अपीलार्थी का उक्त डीपीसी बैठक के समय संबंधित वरिष्ठता सूची में बी.ए. योग्यता में चित्रकला विषय का अंकन दर्ज नहीं था, अतः अपीलार्थी इन वर्षों की डीपीसी हेतु निर्मित पात्रता सूची में नियमानुसार सम्मिलित योग्य नहीं बनता है। इस प्रकार रिव्यू डीपीसी में चयनित अभ्यर्थियों के चयन से अपीलार्थी की तुलना नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी एमए हिन्दी की योग्यता धारित होने के कारण अपीलार्थी का नियमानुसार प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी की चयन वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन किया गया है। अपीलार्थी की पदौन्नति निदेशालय के आदेश क–शिविरा /मा/संस्था/सी–7/हिन्दी (पुरुष) / डी.पी.सी.–पदस्थापन/2013–15 दि. 03.06.2015 के द्वारा वर्ष 2013–14 में चयन कर पदस्थापन राउमावि गांगडतलाई में किया गया था। प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही चयन वर्ष हेतु निर्धारित वर्गवार रिक्तियों के प्रति द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर निर्मित पात्रता सूची में से डीपीसी द्वारा किया जाता है। सेवाभिलेख में दर्ज योग्यता के आधार पर नियमानुसार डीपीसी से चयन संबंधी कार्यवाही नही की जा सकती। उक्त योग्यता दर्ज होने के उपरांत आगामी चयन वर्ष 2013–14 की जब भी प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) चित्रकला की डीपीसी की जायेगी, अपीलार्थी का नाम पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाकर इनके चयन पर विचार किया जाना संभव हो सकेंगा। इनसे कनिष्ठ अभ्यर्थियों की योग्यता संबंधित वरिष्ठता सूची में पूर्व से दर्ज थी, अतः उनके चयन से अपीलार्थी की तुलना नहीं की जा सकती है। विभाग द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय स्तर पर अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियां का निराकरण करते हुए मण्डल स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरांत विभाग द्वारा सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी बित जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इस प्रकार सभी अभ्यर्थियो को जारी वरिष्ठता सूचियों को पहले मण्डल स्तर पर एवं बाद में राज्य स्तर पर आपत्ति प्रस्तुत करने का दो बार अवसर प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा समय पर बीए. योग्यता में चित्रकला विषय अंकित करने की हेतु विभाग के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई । अतः अपील खारिज की जाने योग्य है ।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता ड्राइंग के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं कर उससे कनिष्ठ की पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब में यह निवेदन किया है कि 2012–13 की रिक्तियों की पदोन्नति के समय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की बी.ए में चित्रकला योग्यता अंकित नहीं होने से पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी की बी.ए में चित्रकला की योग्यता का अकंन आदेश दिनां क09.12.2014 द्वारा किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क मान्य नहीं है। अपीलार्थी राजकीय सेवा में नियुक्ति से पहले से बी.ए में चित्रकला विषय उत्तीर्ण था जो प्रस्तुत अंकतालिका एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 0912.2014 से स्पष्ट है। इसमें यह अंकित है कि ''योग्यता बी.ए 83 में विषय हिन्दी संस्कृत एवं चित्रकला पढ़ा जावे।'' अपीलार्थी राजकीय सेवा में 1985 में आया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सही रिकार्ड संधारण नहीं करने का दण्ड अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता। अपीलार्थी वर्ष 2012–13 की व्याख्याता चित्रकला की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्रता रखता है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को व्याख्याता चित्रकला के पद पर वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध उस तिथी से पदोन्नति प्रदान की जावे जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है एवं उसे समस्त परिणामिक परिलाभ प्रदान किए जावे। अधिकरण के आदेश की अधिकतम 3 माह की अवधि में पालना सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य